शासन विरूद्ध सीमा सेतुवा वगैरह
प्रकरण क्रमांक–98/2020
धारा–420/34 भा०दं०सं०
दिनांक–21–03–2024

समय–01:15 बजे से

Witness No. ....01... **For**. अभियोजन साक्ष्य **Deposition Taken the** 21–03–2024 **day of** गुरूवार **witness's apparent age** 42 वर्ष **states on affirmation** ..... **my name is** आर० किरण रेड्डी पति स्व० श्री त्रिनाथ रेड्डी **occupation** गृहणी **address** पंचशील नगर चरोदा जिला –दुर्ग (छ०ग०)

(1) मै न्यायालय उपस्थित अभियुक्तगण सीमा सेतुवा और कमलेश सेतुवा को जानती पहचानती हूं। अभियुक्तगण मेरे यहां किराए पर रहते थे। घटना वर्ष 2015 की है। अभियुक्त सीमा सेतुवा ने मेरे घर आकर मुझे बताया था कि वास्तु देखती है और 2–3 माह बाद उसने मुझे बताया कि वह सोने के जेवर और पैसों को डबल करती है।

(2) मैने सीमा सेतुवा से कहा कि मै इन सब चीजो पर विश्वास नहीं करती , परंतु अभियुक्त सीमा सेतुवा ने मुझे फिर भी कहा कि एक बार सोने के जेवर और पैसे देकर देखों मै उसे डबल कर दूंगी। मेरे द्वारा वर्ष 2016 में अभियुक्त सीमा सेतुवा को 03 सोने का चैन, 05 सोने की अंगूठी, 02 सोने के कंगन, सोने के 58 मोती और 02 सोने के लॉकेट, साउथ का मंगलसूत्र, जिसमें दो सोने के पाईप, 02 गोल लॉकेट और 02 पान पत्ती के डिजाईन वाला लॉकेट लगा हुआ था, को सीमा सेतुवा को दिया था।

(3) सामान प्राप्त करने पर सीमा सेतुवा द्वारा कहा गया कि वह 15 दिन में मेरे द्वारा दिये गये सामानों को डबल करके मुझे देगी। मै हर 15 दिन में सीमा सेतुवा के पास मेरे जेवर मांगने जाती थी, तब उसके द्वारा टाल मटोल करके अगली तिथि

दी जाती थी। लंबे अंतराल होने पर मेरे द्वारा सीमा से कहा गया कि मेरी पति की तबियत खराब है, मेरे द्वारा दिये गये सोने के जेवर मुझे वापस कर दो। सीमा सेतुवा के द्वारा मुझे जेवर नहीं दिया गया और मुझे बताया कि मणापुरम और मुथुडफाईनेंस से मैने सोने के जेवरात गिरवी रखकर पैसे लिये है, पैसा आने से मै आपको आपके जेवर वापस करती हूं।

(4) तब मुझे जानकारी हुआ कि मेरे द्वारा दिया गया जेवर को अभियुक्त सीमा द्वारा फाईनेंस करके पैसे लिए गये है। मेरे द्वारा बार–बार जेवर मांगने पर एक साल निकल गया और इसी बीच वर्ष 2018 में मेरे पति की मृत्यु हो गयी, उसके पश्चात् भी सीमा सेतुवा द्वारा मुझे मेरा जेवर वापस नहीं किया गया। उसी दौरान मुझे मालूम चला कि सीमा सेतुवा द्वारा अंजली सिन्हा, अमिता रानी, साजिदा बेगम, कल्पना साखरे, कोमल बोस और अन्य लोगो से भी दूगना जेवर कर दूंगी कहकर जेवर लिये थे और उन्हें भी उनका जेवर वापस नहीं किया था।

(5) हम सब के द्वारा कई बार जेवर मांगने पर अभियुक्त सीमा के द्वारा जेवर वापस नहीं करने पर हमारे द्वारा लिखित शिकायत पुलिस अधिक्षक दुर्ग को दिया गया। **लिखित शिकायत प्र०पी०–01** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे समक्ष पुलिस द्वारा घटना स्थल का नक्शा बनाया गया था, **नजरी नक्शा प्र०पी०–02** के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

(6) मेरे द्वारा थाने में जेवर का बिल जप्त कराया गया था, **जप्ती पत्रक प्र०पी०–03** के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा जप्त कराया गया **रसीद आर्टिकल ए–1, ए–2, ए–3, ए–4, ए–5, ए–6, ए–7, ए–8** है। पुलिस वालों के द्वारा

मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया गया था। मेरे द्वारा जप्त सामानों का पहचाना किया गया था, **शिनाख्ती मेमो प्र०पी०–04** के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। शिनाख्ती कार्यवाही मे मैने अपने सामानों को पहचाना था।

(7) न्यायालय से मैने अपने जप्त सामानों को सुपुर्दनामें पर प्राप्त किया था। आज दिनांक तक मुझे मेरा कुछ सामान नहीं मिला है। प्रकरण में संलग्न किरायानामा जो मेरे पति स्व० आर० त्रिनाथ रेड्डी एवं कमलेश कुमार सेतुवा के मध्य निष्पादित हुआ था, उसमें मेरे पति स्व० आर० त्रिनाथ रेड्डी के हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण के द्वारा मेरा सोना वापस नहीं किया और ना ही पैसा वापस किया जा रहा था, इसलिए मैने रिपोर्ट दर्ज कराया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री गणेश शुक्ला वास्ते अभियुक्तः–</u>

(8) साक्षी से पूछे जाने पर कि कमलेश सेतुवा और सीमा सेतुवा आपके यहां किराए से कब रह रहे थे, इसपर साक्षी का कथन है कि वर्ष 2014 से रह रहे थे। यह कहना सही है कि कमलेश और सीमा से मेरा परिचय वर्ष 2014 से है। मैने बी०ए० एम०एस० तक पढाई की है। यह कहना सही है कि प्र०पी० –01 की लिखित शिकायत में शिकायत दिये जाने की तारीख का उल्लेख नहीं है।

(9) यह कहना सही है कि लिखित शिकायत प्र०पी० –01 पुलिस अधिक्षक को दी गयी शिकायत है, उसके पूर्व मैने थाने में कोई शिकायत नहीं किया था। यह कहना गलत है कि लिखित शिकायत प्र०पी० –01 में यह गलत लिखा है कि पूर्व में महिल सेल, रक्षा टीम सेक्टर 06 भिलाई, मुख्य मंत्री डॉ० रमन सिंह, राज्य

महिला आयोग, आई०जी० महोदय, थाना पुरानी भिलाई को शिकायत किया था, साक्षी का स्वतः कथन है कि शिकायत की थी।

(10) यह कहना सही है कि महिल सेल, रक्षा टीम सेक्टर 06 भिलाई, मुख्य मंत्री डॉ० रमन सिंह, राज्य महिला आयोग, आई०जी० महोदय, थाना पुरानी भिलाई को की गयी शिकायत की प्रति अभिलेख में संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि थाना पुरानी भिलाई में मेरा बयान लिया गया था और बयान लेने हेतु नोटिस दिया गया था। यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना दर्ज कराने के एक वर्ष पूर्व मुझे सीमा के साथ थाना पुरानी भिलाई बुलाया गया था और एक प्रकरण मे मुझे भी आरोपी बनाया गया था।

टीपः– चायकाल होने से साक्षी का मुख्य परीक्षण चायकाल पश्चात् तक स्थगित किया जाता है।

समय–02:58 बजे तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सहीं होना स्वीकार किया गया।

AMITA JAISWAL
Digitally signed by AMITA JAISWAL
Date: 2024.03.22 15:16:24 +0530

(अमिता जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ०ग०)

मेरे निर्देश पर टंकित।

AMITA JAISWAL
Digitally signed by AMITA JAISWAL
Date: 2024.03.22 15:16:29 +0530

(अमिता जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ०ग०)

साक्षी का हस्ताक्षर .....